न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021

तारीख रजू 05.04.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

शंकरलाल पुत्र हरगोविंद जाति गूजर निवासी ग्राम बैरना तह0 खण्डार

.......अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 11-5-22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र हरगोविंद जाति गूजर निवासी बैरना तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 325/123 रकबा 1.00 बीघा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम बैरना में आदेश दिनांक 25/06/2002 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा रकबा 325/123 रकबा 1.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बहरावण्डा खुर्द व पटवारी हल्का अल्लापुर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकांर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि खसरा नम्बर 323/123 वाके ग्राम बैरना रकबा 1 बीघा की भू– निरीक्षक की दिनांक 13/[illegible] के अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन की शर्तों [illegible] नहीं की गई है। पुनःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी चौ[illegible] सम्वत 207[illegible]6 के अनुसार उक्त [illegible] लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों [illegible] उल्लंघन है। अन्त [illegible]ल पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 25.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक 1592 दिनांक 12/08/2021 बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थी देवीशंकर पुत्र छोट्या नियत दिनांक 08/09/2021 को तथा नियत तारीख पेशी के पश्चात 8 अवसर दिये जाने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा न हीं अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः अप्रार्थी के न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 22/03/2022 के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी शंकरलाल पुत्र हरगोविंद जाति गूजर निवासी बैरना तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 325/123 में से रकबा 1.00 बीघा आवंटित किया गया था। यह है कि आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 308 दर्ज होकर दिनांक 08/07/2002 को स्वीकार हुआ। भू अभिलेख निरीक्षक बहरावण्डा खुर्द एवं पटवारी हल्का अल्लापुर की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार शंकरलाल पुत्र हरगोविंद जाति गूजर का खसरा सं0 325/123 रकबा 1 बीघा पर मौक पर कब्जा काश्त नहीं है। एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074 – 76 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 323/323 वाके ग्राम बैरना पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 25/06/2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बैरना के आराजी खसरा नम्बर 323/123 रकबा 1 बीघा को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक ....11-5-22.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible] तहसील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:25:32 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर